



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022021-225234  
CG-DL-E-17022021-225234

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/माघ 28, 1942

No. 56]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

मामला सं. ए डी (ओआई) 46/2020

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/54/2020-डीजीटीआर.—

1. प्लास्टिक मशीनरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे यहां आगे “आवेदक एसोसिएशन” अथवा “पीएमएमआई” भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उत्पादकों अर्थात् सीबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (जिसे पहले तौशीबा मशीन (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और मिलाक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित “प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन (पीपीएम)” अथवा “इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स” (जिसे यहां आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

### विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है।
4. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में "सभी प्रकार के प्लास्टिक प्रोसेसिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें शामिल हैं जिन्हें इंजेक्शन प्रेसिंग के रूप में भी जाना जाता है तथा जिनकी क्लैपिंग शक्ति 40 टन से कम और 3200 टन से अधिक न हो तथा जिनका प्रयोग प्लास्टिक सामग्री के प्रसंस्करण या मोल्डिंग में होता है। तथापि, निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
- i. ब्लो मोल्डिंग मशीनें जो सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण सं. 847730 के तहत वर्गीकृत हैं।
  - ii. वट्रीकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें।
  - iii. सभी इलैक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें जिनमें यांत्रिक गतिविधियां जैसे इंजेक्शन, मोल्ड क्लोजिंग, मोल्ड ओपनिंग, इंजेक्शन, स्कू ड्राइवर आदि को डिजिटल नियंत्रण प्रणाली वाली स्वतंत्र सर्वो मोटरों द्वारा हाइड्रोलिक इकाइयों के बिना नियंत्रित किया जाता है।
  - iv. फुटवियर बनाने के लिए मल्टी कलर/मल्टी मोल्ड मशीनरी, फुटवियर बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी और फुटवियर सोल/स्ट्रैप/हील इंजेक्शन मोल्ड मशीन जो सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण सं. 8453 के अंतर्गत वर्गीकृत है।
5. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 के उपशीर्ष 8477.1000 के तहत वर्गीकृत हैं। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।

### समान वस्तु

6. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में निर्यातित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

### घरेलू उद्योग

7. यह आवेदन प्लास्टिक मशीनरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [जिसे पहले तोशीबा मशीन (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता था] और मिलाक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के अलावा विचाराधीन उत्पाद के अनेक अन्य उत्पादक हैं उनमें से दो अर्थात : (i) विंडसोर मशीन लिमिटेड, और (ii) इलैक्ट्रॉनिक प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड ने आवेदक का समर्थन किया है। आवेदकों ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं।
8. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार आवेदकों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर आवेदकों शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [जिसे पहले तोशीबा मशीन (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता था] और मिलाक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माना है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

**कथित पाटन का आधार****चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य**

9. चीन जन.गण. के लिए आवेदक ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। आवेदक द्वारा यह बताया गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागतें और कीमत सूचना बाजार चालित हैं तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।
10. सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके और उसमें बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन को जोड़कर किया गया है।

**निर्यात कीमत**

11. संबद्ध देश के लिए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और अंतरदेशीय माल भाड़ा व्यय के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

**पाटन मार्जिन**

12. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों की लागत और कीमतों में अंतर के कारण पाटन मार्जिन क्लेपिंग शक्ति के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों के लिए निर्धारित भारित औसत पाटन मार्जिन है। यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है।

**क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन और संबद्ध देश से भारी मात्रा में आयातों, कीमत कटौती, घरेलू उद्योग पर कम कीमत प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं। संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं।

**पाटनरोधी जांच की शुरूआत**

14. आवेदक एसोसिएशन द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करने वाले घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए एतद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं।

**संबद्ध देश**

15. वर्तमान पाटनरोधी जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

**जांच की अवधि**

16. आवेदकों ने जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2019 - 30 जून 2020 (15 महीने) के रूप में प्रस्तावित की है। हालांकि, वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई जांच की अवधि 1 अप्रैल 2019 - 30 सितंबर, 2020 (18 महीने) है। POI को 12 महीनों से अलग अपनाने का कारण यह है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत डेटा केवल जून 2020 तक है, जो हाल ही में पर्याप्त नहीं है और तारीख के अनुसार छह महीने से अधिक पुराना है। जांच के अनुसार क्षति की अवधि, 1 अप्रैल, 2016-31 मार्च 2017, 1 अप्रैल, 2017- 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल, 2018-30 मार्च, 2019 की अवधि और जांच अवधि की अवधियां शामिल होंगी।

**प्रक्रिया**

17. नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

**सूचना प्रस्तुत करना**

18. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [dir12-dgtr@gov.in](mailto:dir12-dgtr@gov.in) तथा [dd14-dgtr@gov.in](mailto:dd14-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
19. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
22. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की सरकारी वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

**समय-सीमा**

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [dir12-dgtr@gov.in](mailto:dir12-dgtr@gov.in) तथा [dd14-dgtr@gov.in](mailto:dd14-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

**गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना

के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
32. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### हितबद्ध पक्षकारों के बीच प्रतिउत्तरों/अनुरोधों को शेयर करना

33. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे सभी अनुरोध सभी हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीय अंश को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।

#### असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

#### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

(Case No- AD-OI-46/2020)

**Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of Plastic Processing Machines originating in or exported from China PR.**

**F. No. 6/54/2020-DGTR.—**

1. Plastics Machinery Manufacturers Association of India (hereinafter referred to as the 'Applicant Association' or 'PMMAI') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of domestic producers namely, Shibaura Machine India Private Limited [formerly known as Toshiba Machine (Chennai) Private Limited] and Milacron India Pvt Ltd, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Rules") for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Plastic Processing Machines (PPM)" or "Injection Moulding Machines," (hereinafter referred to as 'subject goods' or 'product under consideration') originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as 'subject country').

2. The Applicants has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports from the subject country and has requested for imposition of the anti-dumping duties on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country.

#### **Product under Consideration**

3. The product under consideration is Plastic Processing Machines (PPM) or Injection Moulding Machines.
4. The scope of the Product under consideration includes “all kinds of plastic processing or injection moulding machines, also known as injection presses, having clamping force not less than 40 tonnes, and not above 3200 tonnes, used for processing or moulding of plastic materials. The following types of products are however excluded from the scope of the product under consideration:
  - i. Blow Moulding Machines classified under Customs Tariff Classification No. 847730.
  - ii. Vertical injection moulding machines.
  - iii. All electric injection moulding machines wherein the mechanical movements such as injection, mould closing, mould opening, ejection, screw driver, etc. are controlled by independent servo motors having digital control system, without hydraulic units.
  - iv. Multi-colour/ multi-mould machinery for making footwear, Rotary injection moulding machinery for making footwear and footwear sole/strap/heel injection moulding machine classified under the Customs Tariff Classification No. 8453.
5. Plastic Processing Machines are classified under Chapter 84 of the Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 8477.1000. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

#### **Like Article**

6. The Applicant has claimed that the subject goods exported to India are identical to the goods produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

#### **Domestic Industry**

7. The application has been filed by Plastics Machinery Manufacturers Association of India. Shibaura Machine India Private Limited [formerly known as Toshiba Machine (Chennai) Private Limited] and Milacron India Pvt Ltd. There are several other producers of the product under consideration apart from the applicants. Two of them, namely (i) Windsor Machines Ltd., and (ii) Electronica Plastic Machines Limited, have supported the application. The Applicants have neither imported the subject goods from the subject country nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India within the meaning of Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules.
8. As per evidence available on record, the Applicant's production accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. On the basis of information available, the Applicants Shibaura Machine India Private Limited [formerly known as Toshiba Machine (Chennai) Private Limited] and Milacron India Pvt Ltd are treated as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

#### **Basis of Alleged Dumping**

##### **Normal value for China PR**

9. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The Applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the Applicant that in case the responding

Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.

10. The normal value has been determined on the basis of cost of production of the domestic industry, duly adjusted, and after adding selling, general and administrative expenses and reasonable profit margin.

#### **Export price**

11. The export price for subject goods for the subject country has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges and inland freight expenses.

#### **Dumping margin**

12. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Customs Tariff Act, 1975. Due to differences in cost and prices of the different types of the product under consideration, the dumping margin determined is weighted average of dumping margin for different types of product under consideration calculated on the basis of clamping force. It is noted that dumping margin is not only above de-minimis level, but also significant.

#### **Injury and Causal Link**

13. The Authority notes that there is prima facie evidence of dumping and consequential injury to the domestic industry on account of significant volume of imports from the subject country, price undercutting, price depressing effect on the domestic industry. There is prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry by dumped imports from subject country.

#### **Initiation of Anti-dumping Investigation**

14. On the basis of the duly substantiated written application filed by the Applicant Association on behalf of the domestic industry, and prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### **Subject Country**

15. The subject country in the present anti-dumping investigation is China PR.

#### **Period of Investigation (POI)**

16. The Applicants have proposed the period of investigation (POI) as 1<sup>st</sup> April 2019 – 30<sup>th</sup> June 2020 (15 months). However, the period of investigation adopted for the present investigation is 1<sup>st</sup> April 2019 – 30<sup>th</sup> September, 2020 (18 months). The reason for adopting POI different from 12 months is that the data furnished by the domestic industry is up to June 2020 only, which is not recent enough and is more than six months old as on date. The injury period under investigation accordingly, will cover the periods 1st April, 2016-31st March 2017, 1st April, 2017- 31st March 2018, 1st April, 2018-30th March, 2019 and the period of investigation.

#### **Procedure**

17. Principles as given in Rule 6 will be followed for the present investigation.

#### **Submission of Information**

18. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg12-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in and dd14-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

19. The known producers/exporters in the subject countries, Government of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
22. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

#### **Time Limit**

23. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [dir12-dgtr@gov.in](mailto:dir12-dgtr@gov.in) and [dd14-dgtr@gov.in](mailto:dd14-dgtr@gov.in). within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

#### **Submission of Information on Confidential Basis**

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
27. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.



32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Sharing of responses/ submissions amongst interested parties.**

33. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

**Non-Cooperation**

34. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority